नेतरहाट विद्यालय समिति की, कार्यकारिणी समिति की, सभापति, श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से.,(से.नि.), की अध्यक्षता में 27.11.2015 (शुक्रवार) को संपन्न बैठक की कार्यवाही :

1. **उपस्थिति** : संलग्न है।
2. वित्त विभाग के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए; और न ही अनुपस्थिति अवकाश का उनके द्वारा अनुरोध किया गया। विगत बैठक 12.10.2015 को भी वे अनुपस्थित रहे। वित्त विभागीय प्रतिनिधि की बैठक में अनुपलब्धता के कारण समिति के वित्तीय अन्तर्गतता विषयक प्रस्तावों पर वित्त विभागीय मंतव्य प्राप्ति में किंचित कठिनाई उपस्थित होती है। समिति का अभिमत हुआ कि वित्त आयुक्त का इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे आग्रह किया जाय ताकि उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि समिति की प्रति तिमाही अथवा उसके पूर्व होने वाली बैठकों में निश्चित रूप से सम्मिलित हों, इस आशय का निदेश कृपया उनके स्तर से दिया जाय।

   निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने विभागीय कार्यों में अपनी अत्यधिक व्यस्तता के कारण बैठक में सहभागिता हेतु अपने उपनिदेशक (श्रीमती आभा कुसुम तिर्की) को प्रतिनियुक्त किया। प्रावधानानुसार, समिति के सदस्य की, बैठक हेतु किसी कारणवश अनुपलब्धता की स्थिति में, अपने प्रतिनिधि-स्वरूप किसी अन्य को प्रतिनियुक्त किये जाने की व्यवस्था नहीं है। तथापि उनके द्वारा प्रतिनियुक्त उपनिदेशक को बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में स्वीकार किया गया।
3. विगत बैठक दिनांक-12.10.2015 की कार्यवाही की संपुष्टी की गई।
4. विगत बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन को समीक्षा उपरान्त स्वीकार किया गया।
5. विद्यालय प्रशासन के स्तर पर अपनायी जा रही वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। तद्नुसार, निम्नलिखित निर्णय लिए गये :

5.1 विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त सहायता अनुदान राशि के व्ययोपरान्त वेतन एवं गैर वेतन मदों में अवशेष राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु, प्राप्य सहायता अनुदान राशि की विमुक्ति की प्रत्याशा में, विद्यालय हित में, क्रमशः वेतन एवं गैर वेतन मद में व्यय की गई राशि का मदवार विवरण बैठक में प्रस्तुत किया गया। विमर्शोपरान्त मदवार व्यय की गई राशि की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

5.2 भारतीय स्टेट बैंक, नेतरहाट शाखा में 'नेतरहाट विद्यालय समिति' के नाम से संप्रति संधारित बचत खाते को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार विभक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से तद्नुसार संधारित किए जाने का निर्णय लिया गया :

(क) गैर योजना के वेतन मद में प्राप्त सहायता अनुदान राशि Account-I के नाम से संधारित हो।

(ख) गैर योजना के गैर वेतन मद में प्राप्त सहायता अनुदान राशि का संधारण Account-II के रूप में किया जाए।

(ग) 'नेतरहाट विद्यालय विकास कोष' के नाम से संधारित खाते को Account-III के रूप में नामित किया जाय।

(घ) समिति नियमावली के नियम 37 में विहित प्रावधान का अनुसरण करते हुए योजना मद में प्राप्त सहायता अनुदान राशि का संधारण Account-IV के नाम से किया जाय।

5.3 विगत दिनांक–15/16 नवम्बर 2015 को विद्यालय परिदर्शन के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, नेतरहाट शाखा के प्रबन्धक से सभापति तथा प्राचार्य के साथ हुए विमर्श के दौरान यथा उपयुक्त कंडिका 5.2 (क से घ) पर शाखा प्रबन्धक की स्वीकारोक्ति थी। साथ ही इस प्रस्ताव पर भी उनकी स्वीकारोक्ति थी कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को उपर्युक्त चारों Accounts में हुए विगत माह के सभी Transactions का विवरण Online द्वारा प्राचार्य तथा रांची स्थित समिति कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लेकर अद्यतन माह तक का विवरण प्राचार्य एवं समिति कार्यालय को Online उपलब्ध कराये जाने हेतु शाखा प्रबन्धक की सहमति थी।

तद्नुसार, शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, नेतरहाट को यथा उपर्युक्त कंडिका 5.2 (क–घ) तथा 5.3 में उल्लिखित निर्णयों को अनुपालनार्थ संसूचित किये जाने का निर्णय हुआ।

5.4 विमर्श के क्रम में समिति के संज्ञान में यह बात आई कि प्रशासनिक पदाधिकारी, श्री सुहर्ष कुमार ने लगभग 1 वर्ष पूर्व अपने निजी मोटर वाहन का क्रय किया है, किन्तु तत्सम्बन्धी सक्षम पूर्वानुमति कार्यकारिणी समिति से उन्होंने ने नहीं प्राप्त की। साथ ही, समिति को बैठक में उपस्थित श्री कुमार ने इस तथ्य से भी अवगत कराया कि उनके द्वारा विद्यालय कार्यों से समय–समय पर निजी वाहन द्वारा की गई यात्राओं के प्रसंग में तद्नुसार यात्रा भत्ता के दावे प्रस्तुत किये गये तथा उन्हें प्राचार्य द्वारा उक्त यात्रा–भत्ता विपत्रों में दावा की गई राशि के भुगतान भी किये गए हैं।

उपर्युक्त दोनो स्थितियां प्रभावी सरकारी अनुदेश से किंचित विपरीत दीख पड़ती हैं। अतएव श्री कुमार से उपर्युक्त मामलों में वस्तुस्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु निदेश का निर्णय लिया गया।

6. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में समिति को गैर योजना-वेतन एवं गैर वेतन मदों में प्राप्त सहायता अनुदान राशि के मदवार आवटंन हेतु विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रस्ताव प्रारूप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। तदनुसार, कतिपय संशोधन उपरान्त, गैर योजना - गैर वेतन मद में प्रस्ताव के अनुसार मदवार आवंटन की स्वीकृति दी गई।
7. आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 'समिति' के बजट प्रस्ताव प्रारूप - योजना एवं गैर योजनान्तर्गत - विद्यालय प्रशासन द्वारा बैठक में प्रस्तुत किया गया। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त, कतिपय संशोधनों के साथ, प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
8. समिति की ओर से विद्यालय दिवस 2016 एवं उसके बाद के वर्षो में, प्रतिवर्ष, आश्रमों के सामान्य रख-रखाव एवं बागवानी - सुसज्जीकरण की प्रस्तुति के आधार पर, सर्वोत्तम आश्रम को चल-चषक (Running Trophy) सहित प्रोत्साहन राशि, रूपये 10,000.00 (दस हजार) दिये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

सम्प्रति प्रथम एवं तृतीय सेट के 6 आश्रमों, जिनके जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, के मध्य प्रारंभ में यह प्रतियोगिता रहेगी। बाद में अन्य आश्रमों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्य पूरे होने पर वे भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। ऐसी स्थिति में द्वितीय पुरस्कार की राशि रूपये 7,000.00 (सात हजार) तथा तृतीय पुरस्कार की राशि रूपये 5,000.00 (पांच हजार) रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य :

9.1 बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक (श्रीमती आभा कुसुम तिर्की) को, समिति स्तर से प्रशासी विभाग को प्रेषित एवं लंबित विभिन्न प्रस्तावों के निष्पादनार्थ, अनुरोध किया गया। कुछेक महत्वपूर्ण लंबित प्रस्ताव जो निम्नवत् हैं, उन्हें नोट कराया गया :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए योजना मद में स्वीकृत सहायता अनुदान राशि, कुल रूपये 15 (पंद्रह) करोड़ की शीघ्र विमुक्ति।

(ख) विद्यालय की सी.बी.एस.ई. से संबद्धता हेतु समर्पित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र का प्रशासी विभाग द्वारा अग्रसारण।

(ग) 20 मई, 2015 को अध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति- सह विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में, विद्यालय के छात्रों के अभिभावकों के आयवर्गीकरण के पुनरीक्षण विषयक निर्णय के क्रम में प्रशासी विभाग के स्तर पर अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई।

(घ) 20 मई, 2015 को अध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति-सह विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में, विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रभार से झारखण्ड अधिविद्य परीषद् को मुक्त करते हुए तत्सम्बन्धी प्रभार कार्यकारिणी समिति को सुपुर्द किये जाने विषयक निर्णय के क्रम में प्रशासी विभाग के स्तर पर अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई।

(ङ) 20 मई 2015 को अध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति-सह विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में, विद्यालय हेतु विभिन्न कोटि के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गों के पदों के सृजन सहित रांची स्थित समिति कार्यालय हेतु कुछेक पदों के सृजन के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के क्रम में प्रशासी विभाग के स्तर पर अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई।

(च) दिनांक-9 नवम्बर 2015 को विभागीय सचिव एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के नेतरहाट विद्यालय परिदर्शन के दौरान प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ हुई बैठक उपरान्त प्राचार्य को दिये गये कतिपय मौखिक आदेश के संदर्भ में तत्सम्बन्धी टिप्पणी लिखित रूप से प्रशासी विभाग द्वारा कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराया जाना।

(छ) झारखण्ड सरकार के भविष्य निधि निदेशालय द्वारा विद्यालय के नवनियुक्त कार्मिकों के National Pension Scheme अन्तर्गत P.F खाते के संधारण विषयक आवेदन के संदर्भ में विगत कुछेक महीने पूर्व प्रशासी विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि नेतरहाट विद्यालय समिति की स्वायत्तता की स्थिति प्रतिवेदित की जाय। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन अब तक प्रतीक्षित होने के कारण भविष्य निधि निदेशालय के स्तर पर अग्रतर कार्रवाई अवरूद्ध है, अस्तु इस पर त्वरीत कार्रवाई अपेक्षित है।

9.2 विद्यालय परिसर में JREDA द्वारा विगत कुछेक माह पूर्व Solar Panel के अधिष्ठापन की योजना के कार्यान्वयन उपरान्त अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक में उपस्थित उनके प्रतिनिधि श्री राम सिंह, विशेष आमंत्रित से की गई। उन्हें अवगत कराया गया कि परिसर के कुछेक स्थलों पर जहां पर Solar Panel लगवाए गए हैं, वस्तुतः सौर ऊर्जा अधिकाधिक प्रतिदिन प्राप्ति की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाये गये हैं। साथ ही, प्रतिनियुक्त एजेन्सी द्वारा योजना के पूर्ण कार्यान्वयन उपरान्त विधिवत Commissioning कर हस्तांतरित नहीं किया गया है।

विमर्शोपरान्त यह निर्णय हुआ कि विद्यालय परिसर में JREDA द्वारा क्रियान्वित कार्य एक वृहद् योजना है। अतएव कार्यान्वयन में हुई उपर्युक्त त्रुटि का निराकरण करते हुए

पूरी योजना का सम्वेत कार्यान्वयन शीघ्र सम्पन्न किया जाय। तदोपरान्त इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पूर्व किसी विशिष्ट महानुभाव द्वारा योजना की Commissioning का उद्घाटन कराये जाने की तिथि का निर्धारण किया जाय।

9.3 बैठक में विशेष आमंत्रित भवन निर्माण विभाग, लोहरदगा प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता ने यह सूचित किया कि प्रथम सेट के तीन आश्रमों के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण कार्य प्रायः पूर्ण है तथा उन्हें 31 दिसम्बर 2015 तक विद्यालय प्रशासन को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

विमर्श के क्रम में यह निर्णय हुआ कि प्रस्तावित अन्य आश्रमों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्य को, आगामी चरण में, शीघ्र पूरा किया जाना है। इस दृष्टि से, प्राचार्य के प्रस्तावानुसार, चतुर्थ सेट के तीन आश्रमों को वे वर्णित प्रयोजनार्थ 5 दिसम्बर 2015 को भवन निर्माण विभाग को सौंप देंगे; द्वितीय एवं छठे सेट के 6 आश्रमों को, प्राचार्य के प्रस्तावानुसार, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रथम सेट के तीन आश्रमों को 31 दिसम्बर 2015 को हस्तान्तरण उपरान्त, जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्य हेतु सुपुर्द किये जा सकेंगे।

सहधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–

(नरेन्द्र भगत)

सभापति,

कार्यकारिणी समिति,

नेतरहाट विद्यालय समिति,

रांची।